	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०/बहस वकील अपीलान्ट की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23-1-25 को पेश हो। [signature] 3/1/2025 उपखण्ड अधिकारी बामनवास	
23/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०/बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। पत्रा० का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा वकील अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। [signature] 23/1/2025 उपखण्ड अधिकारी बामनवास	

Scanned with CamScanner

न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी बामनवास

पीठासीन अधिकारीः नरेन्द्र कुमार मीना आर.ए.एस.

अपील संख्या	तारीख रजू	तारीख फैसला
04/2023	05.10.2023	23.01.2025

1. नमोनारायण पुत्र रामफूल, जाति मीना, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द, ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास, जिला गंगापुर सिटी।

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास,
2. प्रहलाद पुत्र रामफूल,
3. राकेश पुत्र केदार,
4. हेमराज पुत्र केदार,
5. रामनिवासी पत्नी केदार,
6. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बामनवास, जरिये शाखा प्रबन्धक,
7. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा बामनवास जरिये शाखा प्रबन्धक,

–प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता– श्री रामसिंह मीणा,

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता– कोई नहीं

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 391
दिनांक 23.3.2010 ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द

निर्णय

दिनांकः 23.1.2025

इस निर्णय द्वारा निस्तारित की जा रही अपील में अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि कि उसके पिता रामफूल पुत्र ग्यारसा, जाति मीना, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द के निधन उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण अपीलार्थी व उसके भाई प्रहलाद तथा केदार के हक में तस्दीक किया गया। केदार का अब निधन हो चुका है। रैस्पोण्डेण्ट राकेश, रामनिवासी व हेमराज स्व. केदार के वारिस हैं, इसलिए उनको अपील में पक्षकार बनाया है। नामान्तकरण भरते समय हल्का पटवारी ने गलती से अपीलार्थी का नाम नारायण दर्ज कर दिया। जबकि अपीलार्थी का वास्तविक नाम नमोनारायण है। अपीलार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा किसान कैडिट कार्ड बनवाने के

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

लिए दिनांक 23.09.2023 को जमाबंदी की नकल निकलवाई, तब उक्त गलती की जानकारी हुई । अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि निर्णय ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द नामान्तकरण संख्या 391 दिनांक 23.03.2010 गलत है। इसलिए उक्त नामान्तकरण पुनः निर्णीत करने के लिए रिमाण्ड किया जावे, ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द द्वारा बिना जांच किए नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जिसमें त्रुटिवश अपीलार्थी का नाम नमोनारायण की जगह नारायण अंकित कर दिया गया है तथा सभी सरकारी दस्तावेजात में अपीलार्थी का नाम नमोनारायण पुत्र रामफूल दर्ज है, इसलिए उक्त गलती को दुरुस्त करने के लिए नामान्तकरण संख्या 391 को निरस्त किया जाकर पुनः निर्णीत करने के लिए ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द को रिमाण्ड किया जावे । अपीलार्थी को नामान्तकरण संख्या 391 में हुए गलत इन्द्राज की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 23.9.2023 को जमाबंदी की नकल लेने से हुई है। अपील अंदर मियाद पेश होना बताते हुए अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया ।

उक्त अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को अपील के नोटिस जारी किए गए, जिसकी अनुपालना में किसी भी प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। इस कार्यालय के पत्र कमांक कोर्ट/रीडर/2024/625 दिनांक 23.08.2024 द्वारा तहसीलदार बामनवास को लिखा जाकर उक्त अपील के संबंध में सजरा एवं रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार बामनवास ने अपने पत्र कमांक /भू0अभि0/2024/3588 दिनांक 19.11.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि फर्द मौका विरासत जांच में अपीलार्थी के कथनों का समर्थन करते हुए अपनी रिपोर्ट व सजरा पेश किया गया है।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त नामान्तकरण में वर्णित भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 5 की पैतृक भूमि है और रामफूल के निधन के पश्चात् जरिये विरासत् उनके नाम नामान्तकरण खुला है। अपीलार्थी द्वारा पहचान से सम्बन्धित प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में अपीलार्थी का नाम नमोनारायण ही अंकित है, जिसका समर्थन तहसीलदार बामनवास द्वारा भी मौका रिपोर्ट व सजरे में किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तकरण संख्या 391 दिनांक 23.03.2010 ग्राम पंचायत बामनवास

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

पट्टी खुर्द के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 23.3.2010 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह पुनः मामले पर विचार कर जांच करें एवं विधि अनुसार बाद जांच नामान्तकरण की कार्यवाही संपादित करें।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास 23/1/2025

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 23–01–2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/2025
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

नोट:- आदेश प्रा.पत्र 152 दिनांक 24-6-25 द्वारा स्वीकार होने पर उक्त निर्णय में नामान्तरण संख्या 391 की जगह 345 पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner